बिल का सारांश

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) बिल, 2021

- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) बिल, 2021 को 25 फरवरी, 2021 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया। यह राजस्थान पंचायती राज एक्ट, 1994 में संशोधन करता है। एक्ट में राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानूनों को समाहित किया गया है, और यह राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा की स्थापना करता है। सेवा के सदस्यों की राज्य स्तर पर जिलेवार भर्ती की जाती है।
- **ग्राम कार्यकर्ताओं का पदनाम**: एक्ट पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, (ii) ग्राम सेविका, और (iii) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। बिल ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को ग्राम विकास अधिकारी नाम देता है। इसके अतिरिक्त ग्रामसेविका की श्रेणी को हटाता है क्योंकि पंचायती राज संस्था में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अनूप रामाकृष्णनन
anoop@prsindia.org

27 अगसत, 2021